न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 60 / 2014

निर्णय दिनांक– 06.08.2019

उनवान

1. महावीर कुमार पुत्र स्व0 श्री राजूलाल जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
2. प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 श्री राजूलाल जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा

प्रार्थीगण / वादीगण

वनाम

1. लड्डूलाल पुत्र स्व0 श्री अम्बालाल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा
2. रतन कंवर पुत्र स्व0 श्री अम्बालाल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा
3. चोथमल पुत्र स्व0 श्री अम्बालाल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा
4. मक्खन सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानीशंकर जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा
5. मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री भवानीशंकर जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा

–अप्रार्थीगण

6.अरविन्द कुमार पुत्र स्व.श्री निर्मल कुमार जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
7.जम्बू कुमार पुत्र स्व.श्री निर्मल कुमार जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
8.महेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री निर्मल कुमार जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा
9.सुरेश कुमार पुत्र स्व.श्री निर्मल कुमार जाति जैन निवासी अलीगढ तहसील उनियारा

प्रारूपिक अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत आदेश नियम 32 जा.दी. सहपठित धारा 151 जा.दी. बाबत निर्णय व डिक्री सहायक जिलाधीश टोंक दिनांक 18.5.1977

उपस्थितः– श्री बी0एल0कासलीवाल वकील प्रार्थीगण

श्री एम0एल0खान वकील प्रतिपक्षी 1 ता 5

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि ग्राम उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक स्थित भूमि साबिका ख0न0 1507 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त मे नवीन ख0न0 2015 रकबा 4.50 है0 बने है। श्रीमती फूला बाई ध0प0 स्व0 श्री राजूलाल जैन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। श्रीमती फूला बाई का दिनांक 14.12.2008 को देहान्त हो गया। जिनके तीन पुत्र निर्मल कुमार, प्रार्थी महावीर कुमार , प्रकाशचन्द तथा एक पुत्री श्रीमती गुणमाला थे। श्री निर्मल कुमार का भी दि0 1.4.2012 को देहान्त हो गया। निर्मल कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी उनके चर पुत्र अरविन्द कुमार, जम्बू कुमार, महेन्द्र कुमार व सुरेश चार पुत्रियां श्रीमती सलोचना देवी, शकुन्तला देवी, मेना देवी व अन्जना देवी व ध0प0 श्रीमती अन्नतमति होते है, परन्तु श्रीमती

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

निर्मल कुमार की चारों पुत्रियों व अन्नातमति ने भूमि विवादग्रस्त मे अपने सम्पूर्ण अधिकारों का हक त्याग पत्र अरविन्द कुमार, जम्बू कुमार, महेन्द्र कुमार व सुरेश कुमार के पक्ष मे कर दिया। श्रीमती गुणमाला देवी ने भी भूमि विवादग्रस्त मे अपने सम्पूर्ण अधिकारों का हक त्याग पत्र द्वारा अपने भाईयों महावीर कुमार व प्रकाश चन्द प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे त्याग कर दिये। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त पर श्रीमती फूलादेवी के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग मे अनुचित हस्तक्षेप किये जाने पर श्रीमती फूलादेवी ने स्थाई निषेधज्ञा के अनुतोष हेतु ए दावा श्री अम्बालाल ुत्र रामा मीणा व अन्य के विरूद्व प्रस्तुत किया। उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 169/1976 मे दौरान दावा वादिया श्रीमती फूलादेवी व प्रतिवादी श्री अम्बालाल वगैरह के मध्य राजीनामा हो गया, जिसे राजीनामे को नियमानुसार सहायक जिलाधीश महोदय ने दिनांक 18.6.1979 को तस्दीक किया। उक्त राजीनामे मे प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त ख0न0 1507 रकबा 17 बीघा 18 बिस्व पर वादियां श्रीमती फूलादेवी ही खातेदार कृषक है और वही उक्त भूमि पर काबिज रहकर करश्त करती चली आ रही है और प्रतिवादीगण भविष्य मे कभी उक्त भूमि पर वादिया के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग मे अनुचित हस्तक्षेप नही करेगे। जिसके आधार पर दिनांक 18.5.1977 को दावा डिक्री किया गया। जब तक श्री अम्बालाल जीवित रहा वह सहायक जिलाधीश, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.1977 की पालना करता रहा। श्री अम्बालाल का देहान्त हो जाने पर अप्रार्थीगण उसके उत्राधिकारी हुये और वे भी उक्त निर्णय व डिक्री की पालना करते रहे। श्रीमति फूलबाई का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेखों मे प्रतिस्थापित किये गये और वे उक्त भूमि पर निरंतर काबिज रहकर काश्त रते चले आ रहे है। कुछ दिनों पूर्व से अप्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गई है और व`अब भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभेग मे अनुचित हस्तक्षेप करने लगे है और इस कोशिश मे रहते है कि वे येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर स्वयं कब्जा कर ले जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्राथीगण को उक्त निर्णय दिनांक 18.5.1977 की पूर्ण जानकारी है, परन्तु उन्होने निर्णय व डिक्री को मानने से इंकार किया। अप्रार्थीगण द्वारा दी गई उपरोक्त धमकी की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अप्राथीग्ण के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करावे।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों मे यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व आदेश 21 नियम 32 जा.दी. के तहत कार्यवाही की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय एवं डिक्री की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी अनुपालना ना किये जाने तथा प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग मे अनुचित हस्तक्षेप किये जाने की वजह से अप्रार्थीगण की सम्पत्ति कुर्क की जाये तथा अप्रार्थीगण को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वे माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.5.1977 की पूर्ण पालना करते रहे। अप्रार्थीगण की खातेदारी मे ग्राम उखलाना तहसील उनियारा मे स्थित अन्य भूमि ख0न0 337, 338, 638, 670, 702, 703, 704, 705, 710, 849, 1509, 1527, 1532, 1851, 2007, 2013, 2014, 2057, 2058, 2067 कुल किता 20 कुल रकबा 11.19 है0 है, उक्त भूमि को कुर्क किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वे ग्राम उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक स्थित भूमि साविका ख0न0 1507 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा हाल ख0न0 2015 रकबा 4.50 है0 पर प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप ना करे, प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना स्व्यं करे ना किसी अन्य से करावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने व अवहेलना करने के आरोप मे अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित किया जावे तथा आवेदन के पेरा नम्बर 10 मे वर्णित अप्रार्थीगण की खातेदारी की अन्य भूमियों को कुर्क किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन विधि विरूद्व व गलत रूप से रंजिशवश पेश किा गया है। उक्त आवेदन पत्र मे प्रतिवादी न0 4 व 56 की आयु मात्र 13 वर्ष व 15 वर्ष है। नाबालिग व्यक्तियों के विरूद्व झूंठा आवेदन पेश किया गया है। जिस कथित डिक्री की बात आवेदक कहकर चला है कि सहायक जिलाधीश महोदय ने दिनांक 18.6.1979/18.5.1977 को कोई वाद डिक्री किया है, आवेदक स्वयं ही स्पष्ट नही है कि किसके विरूद्व कोनसा वाद, किस प्रकार डिक्री किया गया है, वाद के पक्षकार कौन थे और किस आदेश की अनुपालना सम्माननीय न्यायालय द्वारा करवाई जा सकती है, उक्त आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर जेरबार व परेशान करने के लिये पेश किया गया है। आवेदक ने प्रतिवादी अप्रार्थी न0 2 व 3 के विरूद्व अनुतोष चाहा है तो बिल्कुल गलत है।उक्त व्यक्तियों ने कभी भी किसी प्रकार के राजीनामे पर अथवा किसी दावे मे कभी कोई उपस्थिति नही दी और ना ही अपने हस्ताक्षर किये। उक्त आवेदन स्वमेव तथ्यों से परे होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक उक्त आराजी पर एक ओर तो अपना कब्जा काश्त मालिकाना हक बताकर चल रहा है, दूसरी ओर उक्त आवेदक के प्रारूपिक अप्रार्थीगण 6 ता 9 के पिता निर्मल कुमार व माता फुलादेवी ने स्वयं ने स्व0 अम्बालाल के विरूद्व एफ.आई.आर. न0 75/1993 दिनांक 26.10.1993 को अन्तर्गत धारा 147, 447, 427 आई.पी.सी. मे थाना अलीगढ मे दर्ज करवाई थी, जिसमे दिनांक 19.3.96 को कब्जा अम्बालाल वगेरा का मानते हुये न्यायालय मुसिफ कोर्ट उनियारा द्वारा बरी किया गया है एवं उक्त आवेदको ने ही दिनांक 18.7.93 को पुनः अम्बालाल वगैरा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147, 447, 427 आई.पी.सी. की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो कि मु0न0 327/93 दिनांक 18.7.93 को दर्ज प्रकरण मे अम्बालाल वगैरा को अन्तर्गत धारा 147, 447, 427 आई.पी.सी. मे न्यायालय मुसिफ साहब, उनियारा द्वारा बरी किया गया है एवं कब्जा तत्कालीन रूप से अम्बालाल वगैरा का माना है। आवेदक गलत रूप से तथ्य पेश कर उक्त आवेदन की आड मे नाबालिग व अप्रार्थीगण को जेरबार व परेशान करना चाहता है। आवेदक के पूर्वजों ने उक्त आराजी काफी समय पूर्व विक्रय कर दी थी और क्रेतागण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त व मालिकाना हक चला आ रहा है। आवेदक का कोई लेना देना व सम्बन्ध नही है। उक्त आवेदन मे दर्शित डिक्री व आदेश वर्ष 1977/1979 के अंकित है और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना बताया है, डिक्री को वैधानिक रूप से अनुपालना करवाये जाने की वैधानिक अवधि 3 वर्ष एवं उसके पश्चात अनुपालना की अवधि 12 वर्ष वैधानिक रूप

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

से नियत है। उसके अनुपालना भी डिक्री मे अंकित पक्षकारान को बाद सूचना करवाया जाना न्यायिक प्रावधानों में अंकित है। किसी नाबालिग व अनजान के विरूद्व किसी प्रकार की डिक्री व आदेशों की अनुपालना विध विरूद्व होने के कारण समयावधि मे नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस पर गौर किया गया । पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश टोंक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.1977 की पालना हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने साविका 1507 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा हाल ख0न0 2015 रकबा 4.50 है0 वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा पर से प्रतिपक्षीगण अनुचित हस्तक्षेप नही करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने व अवहेलना करने के आरोप मे अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित कर उनकी खातेदारी की भूमियों को कुर्क करने बाबत निवेदन किया है। नकल जमावन्दी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम उखलाना मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 2015 रकबा 4.50 है0 प्रार्थीगण व प्रारूपिक अप्रार्थीगण 6 ता 9 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र मे नाबालिग को भी पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र मे यह स्पष्ट नही किया है कि प्रतिपक्षीगणों के द्वारा उनकी खातेदारी भूमियों मे कब कब अनुचित हस्तक्षेप किया तथा उनके द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई। यदि वादग्रस्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण के द्वारा किया गया है तो उनके विरूद्व प्रार्थीगण को बेदखली का वाद लेकर आना चाहिये था। प्रार्थीगण के द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना हेतु इतनी लम्बी अवधि निकल जाने के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जहां पर डिक्री का स्वेच्छापूर्ण पालना नही की गई है वहां पर आर्डर 21 रूल 32 के लिये लागू नही होते। उक्त प्रकरण मे यह कही भी साबित नही होता है कि प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा रहा हो और अप्रार्थीगण ने उनके कब्जे काश्त मे कोई मजाहमत की हो। विधि सम्मत रूप से बिना कब्जे के स्थई निषेधाज्ञा के किसी आदेश को लागू नही किया जा सकता। स्थायी निषेधाज्ञा की आड मे कब्जा प्राप्त किये जाने और भूमि कुर्क किये जाने का कोई प्रावधान नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner